भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

केंद्रीय सरकार के तहत अस्पताल/स्थापना के नर्सिंग अधिकारी/स्टॉफ नर्स के पद के लिए मॉडल भर्ती नियमों के प्रारूप पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के कार्यालय ज्ञापन सं. एबी.14017/61/2008-स्था. (आरआर) के अनुपालन में नर्सिंग अधिकारी/स्टॉफ नर्स के पद के लिए मॉडल भर्ती नियम का प्रारूप संलग्न हैं।

मॉडल भर्ती नियमों के मसौदे पर आपत्तियां/टिप्पणियां करने या सुझाव देने के इच्छुक पणधारक अपनी आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव इन मॉडल भर्ती नियमों के मसौदे के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में डॉ. रति बालाचंद्रन, अपर महानिदेशक (नर्सिंग), नर्सिंग प्रभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, (कमरा नं. 751-ए विंग), निर्माण भवन, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली– 110108 को अथवा ई-मेल पताः rathi.bala@gov.in पर दे सकते हैं।

रति

(डॉ. रति बालाचंद्रन)
अपर महानिदेशक (नर्सिंग)
दिनांकः 17.05.2018

(डा. रति बालाचंद्रन)
(Dr. RATHI BALACHANDRAN)
Asstt. Director General (Nursing)
Ministry of Health & F.W.
Govt. of India

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
परिचर्या अधिकारी	संख्या (संशोधन का वर्ष) * कार्यभार के आधार पर कम या अधिक	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" अराजपत्रित, अनु सचिवीय	स्तर – 7 (44900 - 142400 रूपए)	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उप–खण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	(क)(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय या संस्थान से नर्सिंग में बी.एस.सी. (आनर्स); या किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय या संस्थान सेबी एससी नर्सिंग में नियमित पाठयक्रम; या किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय या संस्थान से पश्च आधारिक बीएससी नर्सिंग; और (ii) राज्य नर्सिंग परिषद से नर्स,यानर्स और मिडवाईफ के रूप में रजिस्ट्री कृत हो; या (ख) (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या परिषद से जनरल नर्सिंग और मिडवाईफरी में डिप्लोमा; और (ii) राज्य नर्सिंग परिषद से नर्स,यानर्सऔर मिडवाईफ के रूप में

						रजिस्ट्रीकृत हो; और (iii) ऊपर (ख) (i) पर उल्लखित शैक्षिक अर्हता अर्जन के पश्चात् न्यूनतम पचास शैय्या वाले अस्पताल में एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पणी 1 :** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पणी 2 :** अनुभव सम्बन्धी अर्हता (अर्हताएं) उनकारणों के लिये जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों को अभ्यार्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रति नियुक्तिया आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
8	9	10
लागू नहींहोता।	दो वर्ष: टिप्पण: दो वर्ष की अवधि जिसमें ....सप्ताह की अवधि में सफलतापूर्वक की गई अनिवार्य भर्ती ट्रेनिंग को शामिल किया गया है।	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण -1 पदधारी के प्रति नियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्निलखित अधिकारियों में से प्रति नियुक्ति द्वारा भरी जा सकेगी; (अ) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पदधारण कर रहे है। और (आ) स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं और अन्य अहिताए रखते है; टिप्पण- 2: प्रति नियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रोन्नति या प्रति नियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रति नियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उस की संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
11	12	13
लागू नहीं होता	समूह "ख" विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, - अध्यक्ष 2. मुख्य नर्सिंग अधिकारी/नर्सिंग अधीक्षक,- सदस्य 3. नर्सिंग सलाहकार/ अपर महानिदेशक – सदस्य 4. .... – सदस्य (पूर्ण डीसीसी का गठन किया जाना है)	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(फा.सं.____________________)

नाम : (____________________)

पदनाम: